प्रेषक,

पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

सेवा में,

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स
उत्तर प्रदेश

संख्या डीजी-दो-अ-चि0प्र0पू0-2002/2003 दिनांक मार्च 22 24 2003

विषयः- पी0पी0एस0 अधिकारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि विदित है कि पी0पी0एस0 अधिकारियों (सेवारत) की चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित रूपया 2,000/- अधिक के प्रकरणों पर भुगतानादेश इस मुख्यालय स्तर से तथा शासन स्तर से निर्गत किया जाता है, जबकि सेवानिवृत्त अधिकारियों के सभी प्रकरणों पर भुगतानादेश इस मुख्यालय /शासन स्तर से निर्गत होता है ।

2- प्रायः यह देखा जाता है कि अधिकारियों द्वारा अपनी या अपने परिवार के आश्रित सदस्यों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण चिकित्सा कराने के काफी बिलम्ब से इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाता है तथा उपलब्ध कराये गये प्रकरणों में कुछ न कुछ कमियाँ भी रह जाती है, जिसके कारण प्रतिपूर्ति आदेश निर्गत करने में बिलम्ब होता है ।

3- इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या/992/छः पु0से0-1-2002-181-पी एफ-2001 दिनांक 21-2-2002 तथा शासनादेश संख्या/3771/छः पु0से0-1-02-650(3)-99 दिनांक 16-8-2002 की एक-एक छाया प्रति संलग्न की जा रही है, जिसमें चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में कतिपय निदेश/निर्देश निर्गत किये गये हैं । अनुरोध है कि कृपया पी0पी0एस0 अधिकारियों के चिकित्सा प्रस्तावों को भुगतान हेतु इस मुख्यालय को अग्रसारित करने से पूर्व संलग्न शासनादेशों में उल्लिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखने की कृपा करें तद्नुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कृपया अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें ।

भवदीय
(हस्ताक्षर) 24-3-03
(हरभजन सिंह)
पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

प्रेषक,

पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

सेवा में,

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स
उत्तर प्रदेश

संख्या डीजी-दो-अ-चि0प्र0पू0-2002/2003 दिनांक मार्च 22
विषय:- पी0पी0एस0 अधिकारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम

महोदय,

जैसा कि विदित है कि पी0पी0एस0 अधिकारियों (सेवार चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित रुपया 2,000/- अधिक के प्रकरण भुगतानादेश इस मुख्यालय स्तर से तथा शासन स्तर से निर्गत कि है, जबकि सेवानिवृत्त अधिकारियों के सभी प्रकरणों पर भुगतान इस मुख्यालय/शासन स्तर से निर्गत होता है।

2- प्रायः यह देखा जाता है कि अधिकारियों द्वारा अपनी परिवार के आश्रित सदस्यों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण चिकि के काफी विलम्ब से इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाता है तथ उपलब्ध कराये गये प्रकरणों में कुछ न कुछ कमियाँ भी रह जाती है, कारण प्रतिपूर्ति आदेश निर्गत करने में विलम्ब होता है।

3- इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या/992/छः पु0से0-1-2002 एफ-2001 दिनांक 21-2-2002 तथा शासनादेश संख्या/3771/छः 02-650(3)-99 दिनांक 16-8-2002 की एक-एक छाया प्रति संलग्न रही है, जिसमें चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में कतिपय निर्देश निर्गत किये गये हैं। अनुरोध है कि कृपया पी0पी0एस0 अधिकारि चिकित्सा प्रस्तावों को भुगतान हेतु इस मुख्यालय को अग्रसारित कर संलग्न शासनादेशों में उल्लिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखने की तद्नुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कृपया अपने स्तर से तु का कष्ट करें।

भवदीय
Sd/-
21-3-03
(हरभजन सिंह)
पुलिस महानिरीक्षक, प्र
उत्तर प्रदेश, लखन

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

CA
28/3/03

संख्या-172/छ:पु0से0-1-2002-18। पी0एस0/2001

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक(प्रशासन)
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

गृह(पुलिस सेवायें)अनुभाग-1। लखनऊ: दिनांक 21 फरवरी, 2002

विषय:- पी0पी0एस0 अधिकारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति किये जाने के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रान्तीय पुलिस सेवा (सेवारत/सेवानिवृत्त) की चिकित्सा उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सन्दर्भ में महानिदेशक/अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से परीक्षण कराकर संस्तुत की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति/हेतु धनराशि के भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिकारी का अनुदान संख्या/लेखा शीर्षक का उल्लेख नहीं किया जाता है जिससे चिकित्सा प्रतिपूर्ति कराये जाने में पर्याप्त विलम्ब होता है।

2- इस सन्दर्भ में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पी0पी0एस0 अधिकारियों द्वारा सेवारत अवधि में चिकित्सा उपचार कराये जाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति की संस्तुति भेजते समय सम्बन्धित अधिकारी के वेतन भुगतान का अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण भी अंकित किया जाय।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

प्रेषक,

अतुल कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक(प्रशासन)
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

गृह(पुलिस सेवायें)अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 18 सितम्बर, 2002

विषय:- पी0पी0एस0 अधिकारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय पुलिस सेवा के कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रस्तावों के साथ सदैव निम्नलिखित अभिलेख पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे सम्बन्धित अधिकारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति शीघ्र कराया जा सके :-

(1) समस्त मूल बिल वाउचर ट्रीटिंग फिजीशियन द्वारा सत्यापित हो ।

(2) अनिवार्यता प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से भरा गया हो ।

(3) चिकित्सा उपचार के बाद बिल वाउचर 01 माह के अन्दर चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत कर दिया जाय ।

(4) प्रदेश के बाहर उपचार कराये जाने पर सन्दर्भित चिकित्सा की संस्तुति उपलब्ध करायी जाय ।

(5) प्रदेश के बाहर उपचार कराये जाने पर ऑल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली की दर पर परीक्षण कराया जाय ।

(6) बिल वाउचर को परीक्षण शीट पर मण्डलीय अपर/संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से करवाकर परीक्षणोपरान्त संस्तुति की गयी धनराशि का उल्लेख किया जाय ।

(7) जहाँ आवश्यक हो, राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति उपलब्ध करायी जाय ।

(8) चिकित्सा अग्रिम/समायोजन का उल्लेख अवश्य किया जाय ।

भवदीय,

(अतुल कुमार)
विशेष सचिव ।

संख्या-3771(1)/छः-पु0से0-1-02 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) पुलिस महानिरीक्षक, भवन/कल्याण, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।
(2) गार्ड बुक हेतु ।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव ।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद-।

संख्या: बारह/ए-चिकित्सा निर्देश-2001 ; दिनांक: सितम्बर, ,2001

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उ0प्र0 ।

विषय:- उ0प्र0 पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी दावों के परीक्षण का अधिकार विकेन्द्रीकृत किये जाने के संबंध में ।

निर्देश पत्रावली

कृपया पुलिस मुख्यालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक:16/21-7-2001 का अवलोकन करें, जो संलग्न शासनादेश संख्या:1135/पांच-6-2001-294/96, दिनांक:27-6-2001 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित किये जाने विषयक है ।

2. संदर्भित शासनादेश द्वारा यह निदेशित किया गया है कि रू0 10,000/- से अधिक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का परीक्षण का अधिकार अब मण्डलीय अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, चिकित्सा उपचार एवं परिवार कल्याण को प्रदान किया जाता है । अत: चिकित्सा प्रतिपूर्ति के समस्त दावे जो कि रू0 10,000/- की सीमा से अधिक के है को उपरोक्त अधिकारियों के परीक्षणोपरान्त उनकी स्पष्ट संस्तुति सहित उनके मूल पत्र के साथ दावा मूलरूप में ही इस मुख्यालय को अग्रसारित किया जाये । बिना परीक्षण के कोई भी दावा किसी भी दशा में इस मुख्यालय को अग्रसारित नहीं किया जाए ।

3. उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में अभी तक कोई भी दावा प्रपत्र परीक्षणोपरान्त इस मुख्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है । कृपया आप व्यक्तिगत रूचि लेकर दावों का परीक्षण वरीयता के आधार पर मण्डलीय स्तर से कराकर पुलिस मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें ।

4. कृपया इनका अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए ।

8877
HC

(वेद मूर्ति भट्ट)
पुलिस उपाधीक्षक, भवन/कल्याण,
नि0 पुलिस महानिरीक्षक, भवन/कल्याण,
उ0प्र0 ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- विभाग-23, पुलिस मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि "जीवन रक्षक निधि" से संबंधित जो दावे प्राप्त कर अनुभाग बारह/ए को उपलब्ध कराये जाये उन्हें उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात ही अनुभाग-2/ए को भेजा जाए ।

अत्यावश्यक/सर्वाधिक महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।
संख्या:बारह/ए-चिकित्सा निर्देश-2001, दिनांक:जुलाई 21, 2001

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उ०प्र० ।

विषय:- उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी दावों के परीक्षण का अधिकार विकेन्द्रीकृत किये जाने हेतु दिशा निर्देश प्रदान किये जाने के संबंध में ।

कृपया संलग्न शासनादेश संख्या:1135/पांच-6-2001-294/96, दिनांक:27-6-2001 का अवलोकन करने का कष्ट करें, एवं उसमें निहित नियमानुसार/निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

2. प्रश्नगत शासनादेश में निहित निर्देशानुसार अब भविष्य में जो रु0 10,000/-से अधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे मण्डलीय अपर निदेशक जहाँ यह पद न हो वहाँ संयुक्त निदेशक, चिकित्सा उपचार एवं परिवार कल्याण से परीक्षणोपरान्त उनकी स्पष्ट संस्तुति सहित उनके मूलपत्र के साथ दावा मूल रूप में पुलिस मुख्यालय भिजवाए जाएं ।

3. चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु जिन प्रकरणों में "जीवन रक्षक निधि" अथवा शासन से अग्रिम प्राप्त किया गया हो उन प्रकरणों में विशेष रुचि लेकर प्राथमिकता/वरीयता के आधार पर दावों का परीक्षण कराते हुए शीघ्रातिशीघ्र पुलिस मुख्यालय को भिजवाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

6961

(वेद मूर्ति भट्ट)
पुलिस उपाधीक्षक, भवन/कल्याण,
नि0 पुलिस महानिरीक्षक, भवन/कल्याण,
उ0प्र0 ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक के सहायक उ0प्र0 लखनऊ ।
2- अनुभाग-23, पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि "जीवन रक्षक निधि" से संबंधित जो दावे भविष्य में उपलब्ध कराये जायें उक्त कार्यवाही पूर्ण कराने के उपरान्त ही अनुभाग-बारह/ए, को प्रेषित किये जायें ।

श्री [illegible],
[illegible] सचिव,
उ०प्र० शासन

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ

अपर पुलिस महा निदेशक, [illegible]
[illegible] पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद 9-7-2001

[illegible] अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक 27 जून, 2001

विषय: उत्तर प्रदेश सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या के सम्बन्ध में [illegible] निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3975/5-6-97-294/76, दिनांक [illegible] अक्टूबर, 1998 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को प्रदेश के भीतर तथा प्रदेश के बाहर कराये गये चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के [illegible] में उक्त शासनादेश [illegible] अधिकारों के प्रतिनिधायन के अन्तर्गत [illegible],000/- से अधिक के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों के प्रतिहस्ताक्षरकर्ता [illegible] निदेशक, चिकित्सा [illegible] प्रस्तावों के बड़ी संख्या में प्राप्त होने [illegible] निदेशक, [illegible] एवं प्रतिहस्ताक्षर करने की केन्द्रीकृत व्यवस्था से [illegible] रही व्यवहारिक कठिनाईयों तथा चिकित्सा उपचार, पैथालॉजिकल टेस्ट और दवाओं के मूल्यों में हुयी वृद्धि को [illegible] वर्तमान प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करके इसे सरल बनाने और [illegible] का [illegible] गये प्रतिनिधायन की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है।

2- अतएव राज्यपाल महोदय प्रदेश के भीतर तथा प्रदेश के बाहर करायी गयी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों के परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर तथा स्वीकृति हेतु निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित किये जाने का आदेश प्रदान करते हैं :-

क्रमश: = = = = 2

प्रतिपूर्ति दावे की अधिकतम धनराशि	प्राधिकृत [illegible] अधिकारी	स्वीकृता अधिकारी
(क) प्रदेश के अन्दर		
(1) 2,000 रुपये तक	राजकीय [illegible] के प्रभारी [illegible] अधिकारी/ [illegible] [illegible] उपचार किया गया हो, [illegible] नहीं है संबंधित [illegible] [illegible]	[illegible] ।
(2) 2,000 रुपये से अधिक किन्तु 10,000 रुपये तक	उपचार [illegible] वाले अथवा संबंधित [illegible] वाले राजकीय चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ।	विभागाध्यक्ष ।
(3) 10,000 रुपये से अधिक किन्तु रु० 50,000 तक ।	मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (जिन मण्डलों में अपर निदेशक नहीं हैं वहां संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।	शासन के प्रशासकीय विभाग ।
(4) रु० 50,000 से अधिक	—वही—	शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग के परामर्श एवं वित्त विभाग की सहमति से ।
(ख) प्रदेश के बाहर किन्तु देश के [illegible]		
समस्त मामले	मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (जिन मण्डलों में अपर निदेशक नहीं हैं वहां संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।	शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग के परामर्श एवं वित्त विभाग की सहमति से ।

क्रमशः [illegible]

सेवानिवृत्त सरकारी सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य तथा मृत सरकारी सेवक के पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावे संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी अथवा उस कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे, जहां से वह सेवानिवृत्त हुए हों ।

4- इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों तथा मृत सरकारी सेवक के पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों का तकनीकी परीक्षण करने हेतु सम्बन्धित मण्डल, वह मण्डल माना जायेगा, जहां से ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी की पेंशन आहरित की जाती है। प्रदेश के बाहर पेंशन आहरित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में उनका मण्डल वहीं माना जायेगा जिस मण्डल से कर्मचारी/अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ हो ।

5- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा प्राप्त होने के पश्चात विलम्बतम एक माह के भीतर तकनीकी परीक्षण करा कर इसे प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरान्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के कार्यालयाध्यक्ष को वापस किया जाना सुनिश्चित करेंगे । जो सम्बन्धित स्वीकर्ता अधिकारी से स्वीकृति आदेश प्राप्त करेंगे ।

6- सेवारत कर्मचारियों की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तर-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी । यदि प्रशासकीय विभाग द्वारा उपर्युक्त प्रस्तर-2 के बिन्दु (1) व (2) में उल्लिखित रु0.10,000/= तक के दावे को किन्हीं कारणों वश सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और जिन मण्डलों में अपर निदेशक नहीं हैं वहां संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को तकनीकी परीक्षण हेतु भेजा जाता है तो उसे परीक्षण करके प्रतिहस्ताक्षरित करने के उपरान्त उसे सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के प्रशासकीय विभाग को वापस किया जाय । ऐसे दावे किसी भी दशा में बिना परीक्षण के वापस नहीं किये जाने चाहिए ।

7- <u>गैर सरकारी चिकित्सालयों में उपचार</u> :-

(क) प्रदेश के भीतर के गैर सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ

क्रमशः = = = =(4)

की दरों पर अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी । यदि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान/राजकीय चिकित्सालयों में ऐसी चिकित्सा प्रणाली उपलब्ध नहीं है तो चिकित्सक के द्वारा ऐसा प्रमाणित किये जाने पर वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी । किन्तु प्रदेश के बाहर ऐसी चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(7) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अथवा राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा उपचार कराये जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार यदि चिकित्सक द्वारा किसी विशेष परीक्षण (पैथोलाजिस्ट, रेडियोलाजिस्ट) हेतु संदर्भित किया जाता है तो ऐसी दशा में ऐसे परीक्षण पर हुए विशेष व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी ।

8- संदर्भित शासनादेश संख्या-3975/5-6-97-294/96, दिनांक 1 जनवरी, 1998 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

9- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे ।

10- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-जी(2) 1048/दस-2001, दिनांक 12.06.2001 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

भवदीय,

(सुनीत बनर्जी),
प्रमुख सचिव ।

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
... न ।

... स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 ।
... र प्रदेश ।
..., लखनऊ ।
... पुरुष एवं महिला

आज्ञा से,

(जे0बी0 सिंह)
उप सचिव ।